Seventeenth Loksabha

an>

Title: Measures to Protect Hilly areas and coastal areas (in Mumbai and other Parts of Country) from Cloud-burst.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, धन्यवाद। पिछले कई सालों से देश के पहाड़ी इलाकों और कोस्टल क्षेत्रों में बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं जैसे कि मुम्बई (2005), उत्तराखंड (2013), केदारनाथ (2013), महाराष्ट्र में मालिन गांव (2014) और इसी महीने अमरनाथ (2022) में बादल फटने की घटनाओं में जान माल का भारी नुकसान हुआ है और देश ने जीवन और कृषि उपज के नुकसान के रूप में कीमत चुकाई है। इसी सप्ताह में हिमाचल में भी बादल फटने की गंभीर घटना हुई है। बादल फटने से मिट्टी का कटाव, सड़कों और रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन और यहां तक कि पहाड़ी इलाकों में निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं। मैं आपका ध्यान वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और मुंबई जैसे शहरों में शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव तथा महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों की ग्रामीण आबादी और विशेष रूप से मुंबई जैसे मेगा शहरों में लगभग हर क्षेत्र में कठिन समय का सामना करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मुंबई शहर के परिवहन, तूफान का पानी, पीने का पानी, जल निकासी, सीवेज उपचार, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बढ़ते जोखिम जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार ने एमसीजीएम के माध्यम से ग्रेटर मुंबई के नगर निगम को क्लाउड बर्स्ट या भारी वर्षा के हाइड्रोलिक मॉडलिंग और संबंधित भौतिक और सामाजिक क्षति तथा इसके प्रभावों के माध्यम से अभिनव समाधान विकसित करने के लिए क्लाउडबर्स्ट रेजिलिएंसी प्लानिंग स्टडी आयोजित करके ध्यान केंद्रित किया है और दक्षिण मध्य मुंबई के क्षेत्र में एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है तो आपदा प्रबंधन

विभाग या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या मुंबई के बीएमसी के माध्यम से इस प्रस्ताव को तुरंत लागू करना चाहिए।

हम उम्मीद करते हैं कि अध्ययन के परिणाम के रूप में, निर्दिष्ट अध्ययन क्षेत्र दक्षिण मध्य मुम्बई के अवसरों की पहचान करके चरम स्थितियों के लिए प्रतिधारण और वाहन प्रदान किया जाए, जिससे सामान्य परिस्थितियों में सामुदायिक और पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान किए जा सकें।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार, विश्व बैंक, एडीबी एशियाई विकास बैंक से वैचारिक डिजाइन और बजट अनुमान अनुमोदन और वित्त पोषण और एनजीटी, पर्यावरण और वन मंत्रालय, व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर (विस्तृत योजना रिपोर्ट) से पायलट परियोजना क्षेत्रों के लिए पर्यावरण और वैधानिक अनुमोदन मुंबई से शुरू करके सम्पूर्ण देश में लागू किया जाए, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों एवं मुंबई और देश के अन्य भागों को क्लाउड बर्स्ट से सुरक्षित किया जा सके।